

निगा० ५६९६/२०१४/रीवा/झूरा०

(73)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल सर्किट कोट रीवा ₹५० प्र०



श्रीमती रमादेवी पत्नी सुरेश प्रसाद तिवारी सा. लूक तड० जवा०

जिला रीवा म० प्र०

..... निगरानीकर्ता०

बनाम

राजबहोर तिवारी तनय श्री शिवनाथ तिवारी सा० लूक तड० जवा०

अधिकारी राजनीति निगरानी कर्ता०
निवास बाटा घरी।
18-9-18 अ०

..... गैर निगरानी कर्ता०

निगरानी विस्तृ निर्णय अनुचिभागीय अधिकारी

अनुभाग त्यो घर ₹५० प्र० के रा० ५० क्र० ००७७८२७/

अप्र० २०१७-१८ आदेश दिनांक १२-९-१८ -

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० भू. रा. सं.

1959 इ०।

मान्यवर,

निगरानी का संक्षिप्त इतिहास निम्न है :-

ग्राम लूक की आराजी नम्बर ६८ रक्षा ०० १४६ का वटवारा

नामान्तरण निगरानीकर्ता० के नाम प्रकरण क्र० ३६८२७ वर्ष २००६-०७ दि०

२८-०६-२००७ को प्राप्तित हुआ निगरानीकर्ता० उक्त भूमि पर का बिज दखील है कुछ भाग पर सकान बना है तथा कुछ भाग पर निस्तार होता है। -

निगरानीकर्ता० तो वटवारा के बाद यही मानती थी कि राजस्व रिकार्ड

२ आ तिवारी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश गवालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R-5696-संवा 118 जिला सीकोड

कृष्ण भगवान् राम देवी तिथिका

1	2	3
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री.....रामनारायण राजा..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील.....नवा..... के प्रकरण क्रमांक.....८८/अ.२८/अपील/२०१८-१४..... में पारित आदेश दिनांक.....12-9-18..... के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संधोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर.....राजा..... के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक6-3-19..... को कलेक्टर.....राजा..... के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">   <p>सदस्य</p> </div>	